न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 19/2023

बउनवान

महावीर पुत्र श्री बद्रीलाल आयु 62 साल, जाति मीणा निवासी ग्राम पचेलखुर्द, तहसील अन्ता जिला बारां राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता, जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री बृजकिशोर शर्मा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

निर्णय दिनांक– 02.01.2024

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 06.02.2023 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम पचेलखर्द तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 110 रकबा 0.64 है., किस्म–बंजड भूमि पर अतिक्रमी मानकर वार्षिक लगान का 50 गुना शास्ति आरोपित कर 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नही नहा है, और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब किया गया है। जो विधि विरूद्व है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.02.2023 निरस्त फरमावें।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2024.01.31 13:04:14 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण ... रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल ... तलब किया गया। ... प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार ... बहस हेतु प्रकरण नि... किया गया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट

का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नही नहा है, और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.02.2023 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपील में अपीलांट द्वारा स्वयं माना है कि उसने कब्जा छोड दिया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 275/21 निर्णय दिनांक 18.03.2021 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। तथा अपील में अपीलांट द्वारा स्वयं माना है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 110 रकबा 0.64 है0 किस्म बंजड ग्राम पचेलखुर्द पर सम्वत् 2077 में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 275/21 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2021 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 465/22-23 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2024.01.31 13:04:14 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां